# प्रोटोकाल अनुभाग

## अधिसूचना / प्रकीर्ण

05 सितम्बर, 2024 ई0

संख्या–604 / XXXIII/53(01)/2024–संख्या 10 / प्रोटोकाल / 2002–उत्तरांचल शासन, प्रोटोकाल अनुभाग की अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल, 2002 द्वारा प्रख्यापित राज्य अतिथि नियमावली, 2002 के समस्त विद्यमान नियमों और जारी आदेशों का अतिक्रमण करते हुए श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड, प्रोटोकाल अनुभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में पधारने वाले राज्य अतिथियों के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

### उत्तराखण्ड राज्य अतिथि नियमावली (संशोधित), 2024

1- संक्षिप्त नाम और आरम्भ-यह नियमावली उत्तराखण्ड राज्य अतिथि नियमावली (संशोधित), 2024 कहलायेगी। यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

### श्रेणी-1

2- निम्नलिखित महानुभाव जब वे उत्तराखण्ड के भ्रमण पर शासकीय अथवा अशासकीय कार्य से हों, तो राज्य अतिथि घोषित किया जायेगा:-

(1) भारत के राष्ट्रपति।
(2) भारत के उपराष्ट्रपति।
(3) भारत के प्रधानमंत्री।
(4) लोकसभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं राज्य सभा के सभापति एवं उप सभापति।
(5) भारत सरकार के मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण एवं उप मंत्रीगण।
(6) भारत के मुख्य न्यायाधीश।
(7) भारत के पूर्व राष्ट्रपति/पूर्व उप राष्ट्रपति।
(8) भारत के पूर्व प्रधानमंत्री।
(9) उपाध्यक्ष/सदस्य, नीति आयोग।
(10) विभिन्न राज्यों के राज्यपाल/केन्द्रशासित राज्यों के उप राज्यपाल।
(11) विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री।
(12) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश।
(13) अध्यक्ष एवं सदस्य, वित्त आयोग/अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग/मानवाधिकार आयोग
(14) कैबिनेट सचित, भारत सरकार।
(15) सैन्य बलों के चीफ आफ स्टाफ।
(16) रिजर्व बैंक के गवर्नर।
(17) भारत रत्न से सम्मानित महानुभाव।
(18) अन्य प्रान्तों के विधान सभा अध्यक्ष।
(19) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश।
(20) नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा/राज्यसभा।
(21) चीफ आफ डिफैन्स स्टाफ (सीडीएस)
(22) भारत के महान्यायवादी।
(23) राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार।
(24) मुख्य सतर्कता आयुक्त/सतर्कता आयुक्त।
(25) भारत के लोकपाल/सदस्य।

नोट- भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के सम्बन्ध में उक्त महानुभावों के अतिरिक्त उनके साथ उनके सम्पूर्ण प्रवास के दौरान भ्रमण करने वाले उनके परिवार एवं टीम के सदस्यों को भी राज्य अतिथि माना जायेगा। क्रम संख्या-4 से 25 तक के महानुभावों को अधिकतम एक सप्ताह के लिए राज्य अतिथि घोषित किया जायेगा तथा इन महानुभावों के साथ भ्रमण करने वाले अधिकतम चार पारिवारिक सदस्यों को भी राज्य अतिथि घोषित किया जायेगा।

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री के प्रदेश आगमन पर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाऐं व शिष्टाचार उपलब्ध कराया जायेगा।

श्रेणी-2

3- सामान्यतया निम्नानुसार उल्लिखित श्रेणी के महानुभाव जब वे शासकीय भ्रमण पर आ रहे हों, तो उन्हें राज्य अतिथि घोषित किया जायेगा:-

(1) अन्य प्रान्तों के विधान परिषद के सभापति/उप सभापति।
(2) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक।
(3) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष।
(4) मुख्य चुनाव आयुक्त।
(5) भारत सरकार के मंत्रालयों के सचिव।
(6) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनाधिकरण।
(7) अन्य प्रान्तों के मुख्य सचिव।
(8) संसदीय समितियों के अध्यक्ष।
(9) अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग एवं अल्पसंख्यक आयोग।
(10) मुख्य सूचना आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग।
(11) चुनाव आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग।
(12) उपाध्यक्ष/सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/जन जाति आयोग/मानवाधिकार आयोग/राष्ट्रीय महिला आयोग/पिछडा वर्ग आयोग/अल्पसंख्यक आयोग।

नोट- श्रेणी-2 के महानुभावों को अधिकतम तीन दिन के लिए राज्य अतिथि घोषित किया जा सकता है तथा इन महानुभावों के साथ जो पारिवारिक सदस्य यात्रा कर रहे हों, उन्हें इस नियमावली में दी गयी परिभाषा के अनुसार सुविधायें प्रदान की जायेंगी ।

श्रेणी-3

4- उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी महानुभावों एवं अन्य विशिष्ट महानुभावों जो किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं हैं, को राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में राज्य अतिथि श्रेणी-3 घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार के महानुभावों को भी अधिकतम 03 दिन के लिए राज्य अतिथि घोषित किया जा सकता है तथा इन महानुभावों के साथ जो पारिवारिक सदस्य यात्रा कर रहे हों, उन्हें इस नियमावली में दी गई परिभाषा के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

5- राज्य अतिथि श्रेणी-2 एवं 3 के महानुभावों को निम्न प्रकार सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

(क) राज्य अतिथि श्रेणी-2 एवं 3 के महानुभावों की यात्रा उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय कार्यों से सम्बन्धित हो तो उन्हें वही सुविधाएं अनुमन्य होंगी जो श्रेणी-1 के क्रमांक 4 से अग्रेतर को अनुमन्य हैं।

(ख) यदि राज्य अतिथि श्रेणी-2 एवं 3 के महानुभावों की यात्रा उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय कार्यों से सम्बन्धित न हो अथवा निजी यात्रा हो तो उन्हें भुगतान के आधार पर आवास, भोजन एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

श्रेणी-4

6- श्रेणी-1, 2 एवं 3 के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के महानुभावों एवं डेलीगेशन को यदि उनका भ्रमण उत्तराखण्ड के कार्य से सम्बन्धित हो तो सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/मुख्य सचिव की संस्तुति एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से राज्य अतिथि श्रेणी-4 घोषित किया जा सकता है। ऐसे महानुभावों पर हुए समस्त व्यय एवं व्यवस्थायें सम्बन्धित विभाग द्वारा ही की जायेगी ।

7- प्रोटोकाल अधिकारी- जिलाधिकारी अपने जनपद में वरिष्ठतम अधिकारी को प्रोटोकाल अधिकारी नामित करेंगे तथा नामित अधिकारी का विवरण शासन को उपलब्ध करायेंगे।

8- आहरण-वितरण अधिकारी- राज्य अतिथियों के आतिथ्य सत्कार हेतु राजस्व विभाग द्वारा आवंटित बजट का आवंटन जिलाधिकारियों द्वारा की गई औचित्यपूर्ण मांग के आधार पर प्रोटोकाल विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त किया जायेगा। जिलाधिकारी अपने जनपदों में आहरण-वितरण अधिकारी होंगे।

9- अनुमन्य सुविधाएं- विभिन्न श्रेणी में वर्गीकृत राज्य अतिथियों के राज्य आगमन पर उनके आतिथ्य सत्कार में आवास, भोजन, सड़क परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था संबंधित जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

ऐसे महानुभाव जो राज्य अतिथि की किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं है, के भ्रमण पर उन्हें भुगतान आधार पर नियमानुसार आवास, भोजन, सड़क परिवहन की सुविधा प्रदान की जायेगी।

10- निजी स्टाफ- मा0 राष्ट्रपति, मा0 उप राष्ट्रपति एवं मा0 प्रधानमंत्री जी को छोड़कर अन्य श्रेणी के राज्य अतिथियों के साथ अधिकतम दो निजी स्टाफ को ही निःशुल्क आवास/भोजन की सुविधा अनुमन्य होगी।

11- पारिवारिक सदस्य- पारिवारिक सदस्य का तात्पर्य केवल राज्य अतिथि की पत्नी अथवा पति से होगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में पारिवारिक सदस्यों की संख्या को अधिकतम चार तक किया जा सकता है।

12- परिवहन सुविधा- राज्य अतिथियों को परिवहन सुविधा केवल राज्य में पधारने के उपरान्त राज्यान्तर्गत ही अनुमन्य होगी। प्रदेश से बाहर परिवहन सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। परिवहन सुविधा का तात्पर्य केवल सड़क परिवहन से है, हवाई परिवहन अनुमन्य नहीं होगा।

13- आतिथ्य अवधि- राज्य अतिथि श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के महानुभावों को अधिकतम 03 दिन के लिए राज्य अतिथि घोषित किया जा सकता है। इस अवधि के उपरान्त अतिरिक्त अवधि के लिए भुगतान आधार पर ही सुविधाएं अनुमन्य होगी।

14- स्वागत- राज्य अतिथियों का स्वागत सबंधित जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। विभागीय राज्य अतिथियों का स्वागत संबंधित प्रशासनिक विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

15- आवासीय व्यवस्था- जहां तक सम्भव होगा राज्य अतिथियों को राजकीय अतिथि गृहों, राज्य शासन के निरीक्षण बंगलों एवं विश्राम गृहों में ही प्रवास उपलब्ध कराया जायेगा। जहां इस प्रकार की व्यवस्था संभव नहीं होगी वहां राज्य अतिथियों को कुमांऊ मंडल विकास निगम या गढ़वाल मंडल विकास निगम जैसी भी स्थिति हो, के अतिथि गृहों में ठहराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही राज्य अतिथियों को निजी होटलों मे कुमांऊ मंडल विकास निगम/गढ़वाल मंडल विकास निगम की अनुमोदित दरों की सीमा तक ठहराया जायेगा। राज्य अतिथि द्वारा उच्चतर श्रेणी के निजी होटल में रहने पर उसका किराया उनके द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। राज्य अतिथि के साथ पारिवारिक सदस्यों को मिलाकर चार अथवा उससे अधिक सदस्य होने की स्थिति में अधिकतम दो कक्ष उपलब्ध कराए जायेंगे।

16- दूरभाष सुविधा- मा0 राष्ट्रपति, मा0 उप राष्ट्रपति एवं मा0 प्रधानमंत्री के अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य अतिथि को निःशुल्क एसटीडी दूरभाष सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

17- सुरक्षा व्यवस्था- अतिविशिष्ट/विशिष्ट महानुभावों/राज्य अतिथियों को अपेक्षित सुरक्षा भारत सरकार के गृह मंत्रालय और इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

18- भ्रमण कार्यक्रम की सूचना- विभिन्न श्रेणीयों में वर्गीकृत राज्य अतिथि के भ्रमण की सूचना न्यूनतम तीन दिवस पूर्व शासन एवं संबंधित जिलाधिकारी को दिया जाना अनिवार्य होगा।

19- शिथिलीकरण- राज्य सरकार नियमावली के किसी भी नियम में शिथिलता प्रदान कर सकती है। राज्य सरकार राज्य अतिथि की संख्या एवं प्रवास अवधि में विशेष व्यवस्था के अंतर्गत नियमों में छूट प्रदान कर सकती है। इस सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

आज्ञा से,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,

सचिव।